फाइल सं.: APEDA-TFD/112/2025
दिनांक:05.01.2026

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

अनाहेम, यू.एस.ए. में 03 से 06 मार्च 2026 तक आयोजित होने वाले "नेचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट" हेतु 'इंडिया पवेलियन' की डिज़ाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव के लिए बोलियाँ आमंत्रित करता है।

1. परिचय:

1.1. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु शीर्षस्थ संगठन है।

2. नेचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट - 2026:

2.1. नेचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट विशेषतः प्रमाणित जैविक उत्पादों के लिए विश्व के अग्रणी व्यापार मेलों में से एक है।'

2.2. भारत, **03 से 06 मार्च 2026 तक अनाहेम, यू.एस.ए. में आयोजित होने वाले नेचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट 2026** में भागीदार (पार्टनर) देश है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा इंडिया पवेलियन तैयार किया जाएगा, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर 'जैविक खाद्य की टोकरी (ऑर्गेनिक फूड बास्केट)' के रूप में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करना है।

3. असाइनमेंट के बारे में:

3.1. एपीडा, नेचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट 2026 में एपीडा पवेलियन के डिज़ाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव हेतु इच्छुक एवं प्रतिष्ठित एजेंसियों से बोलियाँ आमंत्रित करता है।

3.2. इंडिया कंट्री ऑफ द ईयर पवेलियन, ब्लॉक संख्या 2015 में 162 वर्ग मीटर (1800 वर्ग फीट) के क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। पवेलियन का विन्यास (लेआउट) संलग्न है।

3.3. कार्यक्षेत्र और निबंधन एवं शर्तें नीचे पैरा 5 से पैरा 7 में दी गई हैं।

4. बोलियाँ प्रस्तुत करने हेतु पात्रता:

4.1 वे इच्छुक एजेंसियां, जो पिछले पांच या उससे अधिक वित्तीय वर्षों से कार्य में हैं, तथा समान प्लेटफार्म पर समान कार्य के निष्पादन में वांछित अनुभव/विशेषज्ञता के संदर्भ में निम्नलिखित योग्यता मानदंडों को पूरा करती हैं, तथा जिनकी वित्तीय स्थिति उपयुक्त है, वे बोली प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं।

4.2. पात्रता निर्धारण हेतु मानदंड:

एजेंसी का नाम, पता, जीएसटी/वैट पंजीकरण संख्या, पैन/टैन कार्ड, पिछले पांच वित्तीय वर्षों का टर्नओवर, भारत के बाहर निष्पादित अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स के नाम और वर्ष जैसे विवरण, सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ अनुलग्नक-1 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार उल्लिखित किए जांएंगे।

क्र.सं.	पात्रता मानदंड	अपेक्षित दस्तावेज़
4.2.1	एजेंसी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत के बाहर कम से कम तीन (3) अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हों, जिनमें पवेलियन की डिज़ाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव की आवश्यकता हो, तथा जिनका आयोजन टर्नकी आधार पर किया गया हो जिसमें, (क) प्रत्येक इवेंट के लिए पवेलियन का क्षेत्रफल **100 वर्ग मीटर** से कम न हो, (ख) ऐसे इवेंट्स का वित्तीय मूल्य **प्रति इवेंट 20.00 लाख रुपये** से कम नहीं होना चाहिए।	अनुलग्नक-2 के अनुसार, एजेंसी के निगमन की तिथि, टर्नओवर और पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान निष्पादित इवेंट्स की संख्या (निष्पादित इवेंट्स का वर्ष-वार विवरण देते हुए) को दर्शाने वाला सी.ए. प्रमाणपत्र, जो किसी पेशेवर सी.ए. (यूडीआईएन का उल्लेख करते हुए) द्वारा हस्ताक्षरित और एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।
4.2.2	एजेंसी को पिछले 5 वित्तीय वर्षों में से किसी भी तीन वर्षों के दौरान इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में पवेलियन के निर्माण-कार्य, डिज़ाइन और रखरखाव से संबंधित) से 3,00,00,000 रुपये (तीन करोड़ रुपये मात्र) का न्यूनतम कारोबार अर्जित करना चाहिए। कारोबार केवल आवेदक संगठन के नाम पर होना चाहिए, न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर।	
4.2.3	एजेंसी को किसी भी सरकारी संगठन द्वारा काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में नहीं डाला गया हो।	अनुलग्नक 3 के अनुसार एक स्व-घोषणापत्र प्रस्तुत करनी होगी।

4.3 प्रसंस्करण शुल्क, ईएमडी और कार्य-निष्पादन प्रतिभूति:

4.3.1 आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क और बयाना जमा राशि (ईएमडी) तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित तरीके से जमा किया जाना चाहिए:

I. 15,000/- रुपये का गैर-वापसी योग्य आवेदन-सह-प्रसंस्करण शुल्क तथा उस पर 18% जीएसटी (2,700/- रुपये), यानी कुल 17,700/- रुपये (सत्रह हजार सात सौ रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), जो 'एपीडा' के पक्ष में आहरित और नई दिल्ली में देय हो।

II. नई दिल्ली में देय में "एपीडा" के पक्ष में आहरित 5,00,000/- रुपये (पाँच लाख रुपये मात्र) के डीडी के रूप में ब्याज मुक्त बयाना जमा राशि (ईएमडी) । असफल बोलीदाताओं से प्राप्त ईएमडी चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता से प्राप्त ईएमडी का निस्तारण पैरा 4.3.4 के अनुसार किया जाएगा।

4.3.2 एनएसआईसी तथा एमएसएमई पंजीकृत एजेंसियों को ईएमडी जमा करने से छूट शासन के नियमों के अनुसार लागू होगी।

4.3.3 एनएसआईसी और एमएसएमई पंजीकृत संगठनों को शासकीय नियमों के अनुसार, कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा करने से किसी भी छूट की अनुमति नहीं होगी।

4.3.4 चयनित एजेंसी द्वारा अनुबंध मूल्य के पाँच प्रतिशत (5%) या रुपये 5,00,000/- (रुपये पाँच लाख), जो भी अधिक हो, के बराबर कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा कराई जाएगी। अतः चयनित एजेंसी से प्राप्त रुपये 5,00,000/- (रुपये पाँच लाख) की ईएमडी राशि को कार्य-निष्पादन प्रतिभूति में समायोजित किया जाएगा। यदि अनुबंध मूल्य का 5% रुपये 5.00 लाख से अधिक होता है, तो सफल एजेंसी को रुपये पाँच लाख से अधिक की अतिरिक्त राशि डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में जमा करनी होगी। इन दोनों राशियों को सम्मिलित रूप से कार्य-निष्पादन प्रतिभूति माना जाएगा। कार्य-निष्पादन प्रतिभूति की संपूर्ण राशि सभी अनुबंधीय दायित्वों के पूर्ण होने के पश्चात वापस कर दी जाएगी।

5. कार्यक्षेत्र:

5.1 सामान्य दिशानिर्देश

5.1.1 वर्तमान असाइनमेंट **"नेचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट (एनपीईडब्ल्यू) 2026"** में इंडिया पवेलियन के लिए टर्नकी आधार पर डिज़ाइन, निर्माण-कार्य, रखरखाव का कार्य करना है। स्पष्ट समझ के लिए, पूरे बोली दस्तावेज़ को एक साथ पढ़ा जाए, तथा दस्तावेज़ में कहीं और उल्लिखित कर्तव्य भी एजेंसी के कर्तव्यों का हिस्सा होंगे।

5.1.2 **"नेचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट 2026"** में इंडिया पवेलियन का निर्माण-कार्य ड्राइंग/लेआउट में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा जिसमें डिस्प्ले प्रॉप्स/फर्नीचर, लाइट्स, कारपेट, बिजली कनेक्शन, फेशिया, मार्ग क्षेत्र की कारपेटिंग, टाइटल ग्राफिक्स आदि शामिल होंगे। ड्राइंग/लेआउट योजना संलग्न है। एजेंसी को संपूर्ण सेटअप का 3डी रेंडर उपलब्ध करना होगा।

5.1.3 कार्य में संयोजन, विखंडन, जल निकासी, सामग्री प्रबंधन, परिवहन, रखरखाव, पवेलियन खोलने से पहले दिन की सफाई और उसके बाद दैनिक अपशिष्ट निपटान से संबंधित सभी गतिविधियां शामिल होंगी।

5.1.4 एपीडा इंडिया पवेलियन के लिए आरक्षित स्थान पर पवेलियन का निर्माण कार्य पूर्ण कर उपलब्ध कराने हेतु, आयोजक द्वारा निर्धारित तिथि और अन्य दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। पवेलियन/स्टॉलों के निर्माण, स्टॉल की ऊंचाई आदि के संबंध में स्थान प्रदाता प्राधिकरण द्वारा लगाई गई शर्तों/प्रतिबंधों की अग्रिम जानकारी हेतु एजेंसी को **नेचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट 2026** की अर्थात् https://www.expowest.com/en/home.html इवेंट साइट का अवलोकन करने की सलाह दी जाती है।

संपूर्ण एपीडा पवेलियन, सभी मापदंडों पर, 2 मार्च 2026 को अनाहेम के समयानुसार अपराह्न 04:00 बजे तक अनिवार्य रूप से सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाना चाहिए।

5.1.5 एपीडा थीम पवेलियन को पूर्णतः **लकड़ी** की सामग्री का उपयोग करके डिज़ाइन और विकसित किया जाएगा तथा सभी पृथक बूथों/स्टॉलों के लिए **ऑक्टोनॉर्म** का उपयोग किया जाएगा। कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित सुविधाओं का डिज़ाइन, विकास और रखरखाव शामिल होगा:

(i) थीम/सामान्य क्षेत्र (प्रदर्शक स्टॉलों को छोड़कर) (पैरा 5.2 देखें)
(ii) प्रदर्शक स्टॉल (पैरा 5.3 देखें)
(iii) भारत/एपीडा और इंडिया ऑर्गेनिक की ब्रांडिंग (पैरा 5.4 देखें)
(iv) वेट सैंपलिंग क्षेत्र (पैरा 5.5 देखें)
(v) प्रचार और प्रसार (पैरा 5.6 देखें)
(vi) अन्य गतिविधियां / कर्तव्य (पैरा 5.7 देखें)

5.2 थीम/सामान्य क्षेत्र हेतु विनिर्देश:

5.2.1 **पवेलियन की थीम में भारत की समृद्ध जैविक कृषि विरासत और वैश्विक स्थिरता में इसकी भूमिका समाहित होनी चाहिए। 'खेत से खाने की मेज तक' की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह डिज़ाइन जैविक खेती, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं और प्रस्तुत किए जाने वाले जैविक उत्पादों की विविध श्रृंखला के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर विशेष बल देगा। इसका उद्देश्य भारत की कृषि क्षमताओं, विशेष रूप से इसकी जैविक कृषि प्रस्तुतियों को प्रदर्शित करना और वैश्विक सतत खाद्य आंदोलन में इसके योगदान पर बल देना है। डिज़ाइन का स्वरूप आधुनिक होते हुए भी पारंपरिक होना चाहिए।**

शीर्ष ब्रांडिंग और लोगो पीछे से प्रकाशित (बैकलिट) होने चाहिए। डिज़ाइन के तत्व, रंग, इमेजरी और रूपांकन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा से प्रेरित होने चाहिए, ताकि यह "विश्व के लिए भारत में उत्पादित (ग्रोन इन इंडिया, फॉर द वर्ल्ड)" की संकल्पना को स्पष्टतया प्रदर्शित कर सके। **थीम पवेलियन को सजीव पौधों और टिकाऊ तथा पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों से सुसज्जित किया जाएगा।**

थीम पवेलियन में स्वागत क्षेत्र, भारत के जैविक उत्पादों का प्रदर्शन, भारत की समृद्ध जैविक विरासत को सौंदर्यात्मक रूप से चित्रित करने वाली व्यवस्था, बैठक कक्ष तथा भारतीय व्यंजनों के लाइव प्रदर्शन, सांस्कृतिक कला, मेहंदी आदि हेतु अलग क्षेत्र सम्मिलित होंगे।

थीम क्षेत्र को 100 मिमी ऊंचे प्लेटफॉर्म द्वारा विशिष्ट रूप प्रदान किया जाएगा, जिसमें बेज रंग की पार्केट वुडन फ्लोरिंग और रीसेस्ड एलईडी लाइट्स लगी होंगी। **सजीव प्रदर्शन हेतु क्षेत्र को खुली बैठने की व्यवस्था के साथ समकालीन भारतीय थीम वाले कैफे के रूप में तैयार किया जाएगा।** व्यापार मेले में प्रदर्शित भारतीय जैविक उत्पादों से बने व्यंजनों के प्रचार और प्रसार हेतु एक प्रख्यात भारतीय पेशेवर शेफ की व्यवस्था की जाएगी। **इससे संबंधित विवरण तकनीकी बोलियों में जमा और प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिनका मूल्यांकन किया जाएगा।**

आगंतुकों के लिए सैंपलिंग और स्वाद परीक्षण (टेस्टिंग) का प्रावधान रहेगा। एजेंसी को सभी चार दिनों के लिए व्यंजनों के परिवहन, वितरण, क्रॉकरी, तैयारी और परोसने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। खाना पकाने और सैंपलिंग कार्यों के साथ-साथ, जल और जल-निकासी का भी प्रावधान किया जाना चाहिए तथा समग्र स्वच्छता एवं साफ-सफाई सुनिश्चित की जानी अनिवार्य है।

5.2.2 **एजेंसी को अपने समस्त कार्मिकों और कर्मचारियों के लिए प्रवेश पत्रों (एंट्री पासों) की भी व्यवस्था करनी होगी।**

5.2.3 एपीडा के सभी सामान्य क्षेत्रों को उत्थापित फर्श (रेज़्ड फ्लोर) से विशिष्ट बनाया जाएगा।

5.2.4 थीम क्षेत्र को दीवार से दीवार तक (वॉल-टू-वॉल) नए कालीन से ढकना चाहिए। एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सामान्य गलियारे को छोड़कर, पूरे एपीडा पवेलियन के लिए डिज़ाइन के अनुरूप नए क्रय किए गए कालीनों का ही उपयोग किया जाए।

5.2.5 **थीम क्षेत्र में, एपीडा और इंडिया ऑर्गेनिक लोगो की ब्रांडिंग के साथ न्यूनतम छह बैक-लिट ग्राफिक्स पैनल प्रदान किए जाएंगे।**

5.2.6 रिसेप्शन क्षेत्र में काँच, ऐक्रेलिक अथवा लाइक्रा सामग्री के बैकलिट कोलाज का एक बैकड्रोप होनी चाहिए और इसे निम्नलिखित फर्नीचर वस्तुओं से सुसज्जित किया जाना चाहिए:

(i) दोनों ओर ताला लगाने योग्य काउंटरों के साथ दो विशेष रूप से निर्मित (कस्टम-बिल्ट) स्वागत डेस्क, जिन पर **इंडिया ऑर्गेनिक और एपीडा के बैकलिट लोगो** प्रदर्शित हों तथा जिनमें दो व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था हो।

(ii) भारतीय जैविक उत्पादों के प्रदर्शन हेतु डिज़ाइनर डिस्प्ले विचारों के साथ दो ताला लगाने योग्य शोकेस/प्रदर्शन क्षेत्र,

(iii) विवरणिका (ब्रोशर), प्रचार पत्र (फ्लायर्स) और प्रदर्शक निर्देशिका आदि के प्रदर्शन हेतु स्टैंड।

(iv) जैविक मेंहदी लगाने के लिए एक स्टैंडी।

(v) ब्रांडेड फोटो बूथ/सेल्फी पॉइंट स्टैंडी; दर्शकों को आकर्षित करने एवं फोटो अवसर प्रदान करने हेतु उपयुक्त प्रॉप्स सहित निर्मित।

(vi) दर्शकों को आकर्षित करने और फोटो अवसर प्रदान करने हेतु, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भारत के किन्हीं दो जैविक उत्पादों को प्रदर्शित करते हुए दो शुभंकर।

(vii) अतिथियों और उपस्थित लोगों को उपहार स्वरूप वितरण हेतु 'एपीडा' और 'इंडिया ऑर्गेनिक' ब्रांडेड टी-शर्ट (संख्या: 500), कपड़े के थैले (संख्या: 500) और/या दृश्यात्मक रूप से आकर्षक बैज/लैपल पिन (संख्या: 500)।

5.2.7 एजेंसी द्वारा एपीडा थीम पवेलियन/सामान्य क्षेत्र के भीतर या आसपास, किसी प्रमुख एवं सुदृश्य स्थान पर, विज्ञापन हेतु प्रदर्शकों के वीडियो प्रदर्शित करने के लिए **3 x 2 मीटर आकार** की कम से कम **एक एलईडी स्क्रीन** स्थापित करने की व्यवस्था की जाएगी। एजेंसी को एपीडा थीम पवेलियन/सामान्य क्षेत्र में उक्त एलईडी स्क्रीन पर उत्पादों के विज्ञापन वीडियो प्रसारित करने हेतु प्रदर्शकों के साथ समन्वय भी स्थापित करनी होगी। इस प्रयोजन हेतु, प्रदर्शक को एपीडा द्वारा निर्धारित दरों पर एपीडा को भुगतान करना होगा। उत्पादों का वीडियो प्रदर्शक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा एजेंसी को इसे स्क्रीन पर प्रसारित करने हेतु वांछित प्रारूप में परिवर्तित करवाने का कार्य सुनिश्चित करनी होगी।

5.2.8 **8 व्यक्तियों की बैठक क्षमता वाले एक खुले बैठक लाउंज** की बनाई जाएगी, जिसमें सजावटी आंतरिक सज्जा, फर्नीचर तथा जल, पेय पदार्थों एवं जलपान का प्रावधान होगा।

5.2.9 **एनपीईडब्ल्यू 2026** में प्रदर्शित किए जाने वाले उत्पादों की सूची एपीडा द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। एजेंसी को एपीडा के दिल्ली कार्यालय से एनपीईडब्ल्यू 2026 स्थित एपीडा पवेलियन तक उत्पादों के परिवहन हेतु एपीडा अधिकारियों के साथ समन्वय करना होगा। माल ढुलाई और सीमा शुल्क की लागत की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जाएगी। लागत की प्रतिपूर्ति का दावा करने हेतु, एजेंसी ऐसी सामग्री की मात्रा और वजन से संबंधित उचित रिकॉर्ड रखेगी। प्रदर्शन हेतु उत्पादों में 'रेडी-टू-ईट' भोजन/कढ़ी, ताजे एवं जमे हुए फल व सब्जियां तथा उनसे निर्मित पदार्थ, चटनी, अचार, खीरे, श्री अन्न (मिलेट्स) और उनके उत्पाद आदि सम्मिलित होंगे।

5.2.10 पैंट्री सहित एक भंडारण क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा, जिसमें आगंतुकों के लिए चाय, ग्रीन टी, कॉफी, काजू, जूस, पेयजल, माइक्रोवेव ओवन और रेफ्रिजरेटर का प्रावधान होगा। साथ ही, **सभी दिनों के लिए** आगंतुकों हेतु जलपान, पेयजल और चाय, कॉफी, जूस आदि तैयार करने की सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

5.2.11 विभाजन दीवार पेंट फिनिश में एमडीएफ (न्यूनतम आकार 50 मिमी) से मढ़ी हुई (क्लैड) दोहरी लकड़ी (डबल साइड टिंबर) की होगी।

5.2.12 संपूर्ण पवेलियन को पर्याप्त श्वेत रोशनी से रोशन किया जाएगा, ताकि पूरे पवेलियन में कहीं भी अंधेरा या डार्क पॉकेट न रहे।

5.3 प्रदर्शक स्टॉल के लिए विनिर्देश:

5.3.1 एजेंसी को "इंडिया पवेलियन" में **एपीडा द्वारा उपलब्ध कराए गए लेआउट के अनुसार** 9/12 वर्ग मीटर के अधिकतम प्रदर्शक स्टालों का निर्माण कार्य सुनिश्चित करनी होगी । यद्यपि यह एक संकेतात्मक आकार है, आवश्यकतानुसार लेआउट को संशोधित किया जा सकता है। स्टालों की संख्या और आकार के संबंध में अंतिम निर्णय एपीडा का होगा।

5.3.2 सभी वैयक्तिक स्टॉल '**ऑक्टोनॉर्म**' सामग्री से निर्मित होंगी और उन्हें आधुनिक, समकालीन तथा सुरुचिपूर्ण स्वरूप दिया जाना चाहिए। **इंडिया पवेलियन को एक जीवंत स्वरूप और एकरूपता प्रदान करने के लिए स्टॉल एक सीमा तक खुले होने चाहिए।** स्टालों को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाना चाहिए जिससे प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रमुखता से प्रदर्शित कर सकें और संभावित खरीदारों तथा आगंतुकों के साथ संवाद सुगम हो सके।

5.3.3 क्षेत्र के चारों ओर आयोजकों द्वारा अनुमत ऊंचाई तक **एपीडा और इंडिया ऑर्गेनिक की ब्रांडिंग** की जानी चाहिए। यह ब्रांडिंग भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और धरोहर से प्रेरित डिज़ाइन तत्वों, रंगों, चित्रावली और रूपांकनों से परिपूर्ण होनी चाहिए, जो आधुनिक, सादी (न्यूनतमवादी), समकालीन और सुरुचिपूर्ण स्वरूप प्रदान करे। साथ ही, यह "विश्व के लिए भारत में उत्पादित (ग्रोन इन इंडिया, फॉर द वर्ल्ड) " की संकल्पना को दृष्टिगत प्रदर्शित करने वाली होनी चाहिए।

5.3.4 प्रत्येक 9 वर्ग मीटर के निर्मित बूथ में निम्नलिखित मानक फर्नीचर उपलब्ध होंगे:

(i) दीवार से दीवार तक उचित रूप से बिछाया गया नया कालीन
(ii) बैकलिट वैयक्तिक प्रावरणी
(iii) चार (4) कुर्सियाँ
(iv) एक (1) गोल मेज
(v) एक (1) कागज की अपशिष्ट टोकनी
(vi) छह (6) डिस्प्ले शेल्व्स
(vii) एक (1) भंडारण सहित ताला लगाने योग्य काउंटर
(viii) एक (1) पावर प्वाइंट सॉकेट
(ix) छह (6) लाइटें प्रत्येक 100 वॉट की

5.3.5 इसके अतिरिक्त, एजेंसी प्रदर्शकों की आवश्यकतानुसार उचित लागत पर अतिरिक्त फर्नीचर सामग्री उपलब्ध कराएगी, जिसका भुगतान संबंधित प्रदर्शक द्वारा किया जाएगा। ऐसे फर्नीचर की लागत अनुलग्नक-5 के अनुसार वित्तीय बोली के साथ सूचित की जानी चाहिए।

5.3.6 एजेंसी को संबंधित प्रदर्शकों से प्राप्त किए जाने वाले टीपी / डिज़ाइन के अनुसार, **9 वर्ग मीटर के प्रत्येक स्टाल के लिए 3' X 6' आकार कुल 18 वर्ग फुट प्रत्येक के तीन (3) पैनल पोस्टर और 12 वर्ग मीटर के प्रत्येक स्टाल के लिए 3' X 6' आकार के चार (4) पैनल पोस्टर** तैयार करने का कार्य करनी होगी। एजेंसी द्वारा तैयार किए गए पैनल और पोस्टर आयामों में एक समान होंगे और उनकी मुद्रण गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए।

5.3.7 एजेंसी को बिना किसी अतिरिक्त लागत के, प्रदर्शकों द्वारा प्रदान किए गए डिज़ाइन के अनुसार पोस्टरों के मुद्रण, आपूर्ति और चस्पा करने का कार्य सुनिश्चित करनी होगी।

5.3.8 एजेंसी को संबंधित प्रदर्शकों से टीपी / डिज़ाइन की व्यवस्था करनी होगी। एकरूपता और समरूपता बनाए रखने के लिए, एजेंसी द्वारा तैयार किए गए पैनल और पोस्टर आयामों में एक समान होंगे।

5.4 "भारत / एपीडा एवं इंडिया ऑर्गेनिक" की ब्रांडिंग:

5.4.1 **"इंडिया पवेलियन"** का समग्र स्वरूप आधुनिक, न्यूनतमवादी (मिनिमलिस्ट), समकालीन एवं सुरुचिपूर्ण होना चाहिए, जिसमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं परंपरा से प्रेरित डिज़ाइन तत्व, रंग, दृश्य सामग्री एवं रूपांकन सम्मिलित हों, ताकि आधुनिक भारत की जीवंतता को दृश्य रूप में प्रदर्शित करते हुए "विश्व के लिए भारत में उत्पादित (ग्रोन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड)" की अवधारणा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।

5.4.2 **इंडिया पवेलियन की शीर्ष ब्रांडिंग और लोगो बैकलिट (पीछे से प्रकाशित) होने चाहिए।**

5.4.3 ब्रांडिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले "**एपीडा**" और **"इंडिया ऑर्गेनिक"** लोगो **बैकलिट** होंगे। एजेंसी को यह सुनिश्चित करनी होगी कि विभिन्न प्रमुख रूप से दिखाई देने वाले स्थानों पर **अंग्रेजी एवं हिंदी** में "भारत / एपीडा / इंडिया ऑर्गेनिक" शीर्षक वाले अग्रभाग बोर्ड / बैकलिट ग्राफिक्स बनाए और लगाए जाएं।

5.4.4 एजेंसी को यह सुनिश्चित करनी होगी कि एपीडा पवेलियन की बैकलिट ब्रांडिंग का आयाम आयोजकों के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमेय आयामों से छोटा नहीं होना चाहिए।

5.4.5 एजेंसी ब्रांडेड बैनर, बैकड्रॉप और स्टैंडी उपलब्ध कराएगी जो सिलवट रहित (रिंकल-फ्री) स्ट्रेचेबल लाइक्रा या फ्लेक्स से बने होने चाहिए ताकि पवेलियन के समग्र स्वरूप में कोई सिलवट न आएं। इसके अतिरिक्त, बैनरों में चमकदार स्वेत रोशनी होंगी।

5.4.6 प्रचार सामग्री हेतु एजेंसी को एपीडा द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर सामग्री का विकास करनी होगी, जिसमें संपादन, प्रूफरीडिंग एवं मूल्यवर्धन शामिल होगा, तथा संपूर्ण कलाकृति एवं डिज़ाइन एपीडा की स्वीकृति के उपरांत ही मुद्रित/निर्मित की जाएगी।

5.4.7 इवेंट आयोजक द्वारा प्रदान किए गए ब्रांडिंग प्रावधानों की खरीद का समन्वय एजेंसी द्वारा एपीडा की ओर से किया जाएगा।

5.4.8 चूंकि भारत कंट्री ऑफ द ईयर है, इसलिए आयोजकों के सहयोग से एपीडा द्वारा आयोजित प्रदर्शक संध्या में प्रचार और ब्रांडिंग (चार स्टैंडी) की जाएगी।

5.4.9 एपीडा द्वारा समन्वित सत्रों के लिए सम्मेलन स्थल पर प्रचार और ब्रांडिंग (बैकड्रॉप/स्टैंडी) की जाएगी।

5.4.10 **इंटरैक्टिव डिजिटल डिस्प्ले:** थीम पवेलियन को जीवंत बनाने के लिए नए और अभिनव आकर्षक विचार और उपकरण।

5.5 वेट सैंपलिंग क्षेत्र के लिए विनिर्देश

5.5.1 **इंडिया पवेलियन में समकालीन भारतीय थीम के साथ एक कैफे के रूप में एक सुव्यवस्थित क्षेत्र होगा, जिसमें वेट सैंपलिंग और भारतीय जैविक व्यंजनों के सजीव पाककर्म /प्रदर्शन के लिए खुली बैठने की व्यवस्था होगी।** व्यापार प्रदर्शनी में प्रदर्शित भारतीय जैविक उत्पादों से बने व्यंजनों को प्रचारित और बढ़ावा देने के लिए एक प्रसिद्ध भारतीय पेशेवर शेफ की व्यवस्था की जाएगी। **इसका विवरण तकनीकी बोलियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसका मूल्यांकन किया जाएगा।**

आगंतुकों के लिए भारतीय जैविक व्यंजनों को पकाकर दिखाने/प्रदर्शन के लिए प्रतिदिन 1 घंटे के 2 सत्र होंगे।

मेले के प्रत्येक दिन के लिए एक नमूना मेनू तैयार किया जाएगा तथा उसे एपीडा से अनुमोदित कराया जाएगा।

प्रत्येक उत्पाद की उत्पत्ति और लाभों की व्याख्या करने वाले साइनेज प्रदर्शित किए जाने चाहिए। एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वेट सैंपलिंग क्षेत्र साफ-सुथरा हो, जिसमें बांस या पुनर्नवीनीकरण कागज जैसी पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से बने डिस्पोजेबल कप हों। यह पर्यावरणीय स्थिरता के थीम को सुदृढ़ करता है और कचरे को कम करता है।

5.5.2 एजेंसी को सजीव प्रदर्शन और स्वाद परीक्षण के लिए राउंड टेबल और कुर्सियों आदि जैसे उपयुक्त फर्नीचर वस्तुओं के साथ इसकी तैयारी के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होगी।

5.5.3 ऐसे क्षेत्र में निर्दिष्ट **जैविक पेय पदार्थों, जैविक बासमती चावल, जैविक मिलेट्स उत्पादों और जैविक खाद्य उत्पादों** की वेट सैंपलिंग के लिए डिस्प्ले काउंटर, अलमारियां आदि होंगी।

5.5.4 वेट सैंपलिंग के लिए निर्दिष्ट **भारतीय जैविक उत्पाद** और उनकी मात्रा निम्नानुसार होगी:

(क) प्रतिदिन वेज बिरयानी के लिए **10 किलो जैविक बासमती चावल**
(ख) प्रतिदिन नॉन-वेज बिरयानी के लिए **10 किलो जैविक बासमती चावल**
(ग) पास्ता, नूडल्स, खिचड़ी और अन्य व्यंजनों के लिए प्रतिदिन **5 किलो जैविक श्री अन्न (मिलेट्स)**
(घ) प्रतिदिन **जैविक चाय, जैविक कॉफी, जैविक हल्दी लट्टे** आदि
(ड.) **जैविक ताजे फल -** प्रतिदिन छह घंटे के लिए पर्याप्त मात्रा में।

(च) **भारतीय जैविक चावल की विभिन्न किस्मों से बने विभिन्न व्यंजनों का परीक्षण।**

एजेंसी को परिवहन, वितरण, क्रॉकरी, तैयारी और व्यंजनों को परोसने के लिए उचित व्यवस्था करनी होगी।

5.5.5. आगंतुकों द्वारा उत्पाद की उत्पत्ति, स्वास्थ्य लाभ और टिकाऊ उत्पादन विधियों के बारे में जानने के लिए स्कैन करने हेतु प्रत्येक सैंपलिंग स्टेशन के बगल में क्यूआर कोड लगाने होंगे।

5.5.6 वेट सैंपलिंग क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए कोई अलग राशि देय नहीं होगी।

5.6. एपीडा पवेलियन का प्रचार और प्रसार

डिजिटल मीडिया कवरेज

1. **सोशल मीडिया अभियान**: लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर आकर्षक पोस्ट (प्री-इवेंट टीज़र, उत्पाद हाइलाइट्स, इवेंट काउंटडाउन) के साथ एक कंटेंट कैलेंडर बनाने होंगे। #इंडिया कंट्री ऑफ द ईयर पवेलियन 2026 जैसे हैशटैग का उपयोग किया जाए।

2. **वीडियो मार्केटिंग:** सोशल प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पर साझा करने के लिए प्री-इवेंट टीज़र, इवेंट के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग, और पोस्ट-इवेंट हाइलाइट्स और रैप-अप वीडियो तैयार करने होंगे।

3. **मीडिया रीकैप:** सफलता की कहानियों, मीडिया कवरेज और मुख्य निष्कर्षों के साथ पोस्ट-इवेंट रिपोर्ट भेजने होंगे।

5.7 अन्य गतिविधियाँ/कर्तव्य:

5.7.1 एजेंसी को प्रदर्शकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की प्रणाली विकसित करनी होगी। आवश्यक जनशक्ति के साथ प्रमुख स्थानों पर क्यूआर कोड पॉइंट वाली एक अच्छी आईटी आधारित प्रणाली एजेंसी द्वारा व्यवस्था की जाएगी। तकनीकी प्रस्तुति के दौरान इस गतिविधि का एक डेमो दिखाया जाएगा।

5.7.2 एजेंसी को बिजली आपूर्ति, मुख्य विद्युत कनेक्शन, जल आपूर्ति और अन्य सहायता प्रणाली आदि के संबंध में आयोजक के दिशानिर्देशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

5.7.3 एजेंसी को अनुमानित बिजली भार का आकलन करनी होगी और एपीडा की ओर से तथा उसके परामर्श से बुकिंग करनी होगी। एपीडा पवेलियन में बिजली के त्रुटिरहित वितरण की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। एजेंसी के बिलों के भुगतान के समय सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर एपीडा द्वारा वास्तविक आधार पर आवश्यक बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। हालांकि, निर्धारित सीमा से अधिक प्रदर्शकों को बिजली भार का भुगतान सख्ती से प्रदर्शकों द्वारा किया जाएगा। एजेंसी प्रदर्शकों से इसके लिए शुल्क वसूल करेगी। एपीडा किसी भी अतिरिक्त बिजली भार के लिए भुगतान नहीं करेगा।

5.7.4 एजेंसी को एक पेशेवर फोटोग्राफर और माइक के साथ 1 वीडियोग्राफर द्वारा सभी दिनों के लिए पूरे आयोजन के विभिन्न कोणों से पूरे एपीडा पवेलियन, प्रदर्शनी क्षेत्र को कवर करते हुए उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली स्टिल फोटोग्राफी/उचित रूप से संपादित वीडियो की व्यवस्था करनी होगी, ताकि हितधारकों - गणमान्य व्यक्तियों, निर्यातकों, खरीदारों और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों और मेहमानों के 30-60 बाइट्स/प्रशंसापत्र (टेस्टिमोनियल) डिजिटल मीडिया प्रसार और प्रेस सूचना के लिए कैप्चर किए जा सकें। फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर और उनका कवरेज इवेंट के दौरान हर समय उपलब्ध रहना चाहिए ताकि हाइलाइट्स को लाइव पोस्ट/प्रसारित किया जा सके यदि आवश्यक हो।

5.7.5 एक्सपो के सभी दिनों का 3 मिनट का वीडियो डिजिटल मीडिया प्रचार के लिए इवेंट के बाद प्रस्तुत करनी होगी । इन गतिविधियों के लिए, एक पेशेवर की सेवाएं लेनी होगी।

5.7.6 **प्रेस विज्ञप्ति के लिए उद्घाटन के आधे घंटे के भीतर तस्वीरें प्रदान करनी होगी।**

5.7.7 इवेंट के बाद, थीम क्षेत्र, निर्यातकों के स्टालों/बूथों और पवेलियन के अन्य क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हुए 5-इंच x 7-इंच आकार की कम से कम 200 (प्रत्येक दिन के लिए 50) तस्वीरों वाले दो फोटो एल्बम प्रस्तुत करनी होगी। तस्वीरें पेन ड्राइव में भी जमा करनी होगी।

5.7.8 प्रदर्शनी के दौरान निर्यातकों को आवश्यक सुविधा प्रदान करना एजेंसी का कर्तव्य और जिम्मेदारी होगी, जिसमें प्रदर्शक बैज, आगंतुक पास, प्रवेश पास, निकास पास, श्रम पास आदि का वितरण शामिल है।

5.7.9 एजेंसी को एपीडा पवेलियन में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए एपीडा लोगो और इंडिया ऑर्गेनिक ब्रांडिंग के साथ **दस (10) कॉर्पोरेट उपहारों** की व्यवस्था करनी होगी, जो 4,000/- से 5,000/- रुपये (चार से पांच हजार रुपये) की सीमा में होंगे। इसका बिल प्रमाण के रूप में एपीडा को प्रस्तुत करना होगा।

5.7.10 एजेंसी को वीआईपी मेहमानों के लिए **पांच (05) गुलदस्ते** और जलपान की व्यवस्था करनी होगी।

5.7.11 एजेंसी को इवेंट के सभी दिनों के लिए प्रतिदिन लगभग **05 (पांच) लोगों** के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले पैक्ड नाश्ते और दोपहर के भोजन (शाकाहारी/मांसाहारी) की व्यवस्था करनी होगी।

5.7.12 एजेंसी को आगंतुकों के हाथों पर जैविक मेंहदी लगाने की व्यवस्था करनी होगी और इसमें पर्याप्त जनशक्ति, सामग्री और उपकरणों का प्रावधान शामिल होगा।

5.7.13 एजेंसी को इवेंट के सभी दिनों में पूरे दिन के लिए भारतीय वेशभूषा में तैयार दो (2) भारतीय महिला परिचारिका और दो (2) भारतीय पुरुष परिचारिका प्रदान करनी होगी।

5.7.14 एजेंसी, पोस्टर लगाने तथा अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए एपीडा प्रदर्शकों के साथ समन्वय करेगी, यदि उनका अनुरोध हो।

5.7.15 एजेंसी को एपीडा द्वारा सूचना/कलाकृतियों/डिज़ाइनों के अनुमोदन के अंतर्गत निम्नलिखित की मुद्रण का प्रावधान करनी होगी:

(क) **प्रदर्शक निर्देशिका की 500 प्रतियां** (अंग्रेजी में) (आकार: लगभग 6x8 इंच), जिसमें एनपीईडब्लू 2026 के भागीदारों का विवरण होगा (जिसमें से 10 प्रतियां बिलों के साथ एपीडा कार्यालय में जमा करना होगा।)

(ख) **एपीडा का इंडिया ऑर्गेनिक विवरणिका** (**500 प्रतियां**, आकार 7 इंच x 9.5 इंच) अंग्रेजी में।

(ग) **500 (पांच सौ) व्यंजन पुस्तकें** (आकार 11"x8.5" क्षैतिज पृष्ठ ओरिएंटेशन के साथ) जिसमें सजीव प्रदर्शन और वेट सैंपलिंग के दौरान प्रस्तुत कम से कम 15 वस्तुओं की तैयारी दिखाई गई हो।

(घ) प्रदर्शक निर्देशिका और इंडिया ऑर्गेनिक विवरणिका भी क्यूआर कोड आधारित और मोबाइल पर डाउनलोड करने योग्य होगी। इस क्यूआर कोड को एपीडा के अनुमोदन के अंतर्गत बनाए गए सभी संपार्श्विक और परिसंपत्तियों पर प्रचारित और बढ़ावा दिया जाएगा।

6 अन्य निर्देश- सामान्य:

6.1 एपीडा का बिजनेस सेंटर कंप्यूटर/लैपटॉप, इंटरनेट (वाई-फाई) और फोटोकॉपी मशीन सहित प्रिंटर से सुसज्जित होगा।

6.2 एजेंसी द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे दीवार पैनल, लकड़ी की सामग्री, फर्नीचर, प्रदर्शन सहायक उपकरण आदि अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए तथा रंग, आकार, सौंदर्य आदि में एक समान होने चाहिए। तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुति के समय एजेंसी प्रदान किए जाने वाले फर्नीचर की तस्वीरें प्रदर्शित करेगी, जमा करेगी और उसके लिए अनुमोदन प्राप्त करेगी।

6.3 डिज़ाइन आयोजक के मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित करना होगा।

6.4 एजेंसी को प्रदर्शनी के प्रत्येक दिन की गतिविधियों के शुरू होने से पहले पूरे पवेलियन के उचित रखरखाव और नियमित सफाई की व्यवस्था करनी होगी।

6.5 एजेंसी को एपीडा पवेलियन में तथा उसके आसपास पूर्ण अग्नि निवारण एवं अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी।

6.6 एजेंसी सुविधाओं से संबंधित प्रदर्शकों की चिंताओं को दूर करना सुनिश्चित करेगी और चिंता का तत्काल समाधान करने के लिए साइट पर एक प्रबंधक को प्रतिनियुक्त करेगी।

6.7 एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि पवेलियन के रखरखाव और पूरे इवेंट के दौरान समन्वय के लिए साइट पर उपयुक्त जनशक्ति मौजूद हो।

6.8 एजेंसी को इस संबंध में आयोजक के दिशा-निर्देशों के अनुसार इवेंट के समापन के बाद सभी फर्नीचर, फिक्स्चर और अन्य सामग्री को हटाने के बाद पवेलियन स्थल का खाली और साफ किया हुआ मेला आयोजक को कब्जा सौंपने की व्यवस्था करनी होगी।

6.9 एजेंसी को स्थल के उपयोग और योजनाओं आदि के अनुमोदन के लिए संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन पत्र समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा।

6.10 एजेंसी को अनुमानित बिजली भार का आकलन करना होगा और एपीडा की ओर से बुकिंग करना होगा।

6.11 एजेंसी को बिजली आपूर्ति और मुख्य विद्युत कनेक्शन, पानी की आपूर्ति और अन्य सहायता प्रणालियों आदि के संबंध में आयोजक के दिशा-निर्देशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

6.12 एजेंसी प्रदर्शनी अवधि के दौरान एपीडा पवेलियन में मुख्य बिजली/विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना और उचित बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगी। बिजली आपूर्ति के प्रावधान के लिए भुगतान की गई वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति एपीडा करेगा। एजेंसी आयोजक को बिजली बिल और पानी के शुल्क आदि का समय पर भुगतान करेगी। एजेंसी स्वीकृत एजेंसी द्वारा स्थल खाली करने से पहले शो आयोजकों और अन्य विक्रेताओं से संबंधित सभी बकाया राशि का निपटान और/या भुगतान सुनिश्चित करेगी। ऐसे खर्चों की प्रतिपूर्ति एजेंसी द्वारा आयोजक इकाई को भुगतान के प्रमाण और आयोजक के बिल जमा करने पर इवेंट के लिए एजेंसी के बिल के समाशोधन के समय की जाएगी।

6.13 एजेंसी निर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करेगी और साथ ही वॉल पैनल, फर्नीचर, प्रदर्शन सहायक सामग्री आदि बनाने के लिए योग्य कारीगरों को नियुक्त करेगी।

अन्य निर्देश – तकनीकी

6.14 लेआउट, सजावट योजना आदि के साथ पवेलियन की अवधारणा/डिज़ाइन हार्ड कॉपी के साथ-साथ पेन ड्राइव में भी जमा की जानी चाहिए। एजेंसी एपीडा पैवेलियन की 3डी छवियां/प्रस्तुति (हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों) प्रदान करेगी जिसमें विभिन्न कोणों से एपीडा पवेलियन का पूरा प्रक्षेपण स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसमें पूर्ण डिस्प्ले एड्स और फर्नीचर के साथ विभिन्न आकारों

के बूथ का पूर्ण 3डी लुक भी दिखना चाहिए। 3डी प्रस्तुति में सामग्री, संदेश, कथा, कलाकृति, डिज़ाइन, ग्राफिक्स आदि भी विस्तार से होने चाहिए। एजेंसी द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे दीवार पैनल, लकड़ी की सामग्री, फर्नीचर, डिस्प्ले एड्स आदि अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के होने चाहिए।

7 नियम और शर्तें:

7.1 एजेंसी एपीडा के दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्य करेगी। यह सुनिश्चित करना एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि एपीडा के लिए उनके द्वारा की गई सभी गतिविधियां कानूनी ढांचे के अनुसार हों।

7.2 एपीडा की अपेक्षा है कि इस अनुबंध के अंतर्गत चयनित एजेंसी, अनुबंध की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करे।

7.3 एपीडा कार्य प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित किया जाता है कि प्रस्ताव के लिए अनुशंसित एजेंसी अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।

7.4 एपीडा के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है:

(i) पवेलियन और ग्राफिक्स के डिज़ाइनिंग के कॉपी राइट पर स्वामित्व।
(ii) किसी भी स्तर पर डिज़ाइन योजना में बदलाव करना।
(iii) आवेदन/बोली दस्तावेज़ जमा करने की समय सीमा बढ़ाना।
(iv) बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना, अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना।
(v) परियोजना को स्थगित करना, चयनित पार्टी के साथ अनुबंध को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी भी समय रद्द करना यदि एपीडा की राय में यह जनहित में आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। एपीडा उपरोक्त कार्रवाई से हुई या उत्पन्न किसी भी क्षति या हानि के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा।
(vi) अनुबंध के नियमों और शर्तों को संशोधित करना जो सफल बोलीदाता को बोली प्रक्रिया के बाद प्रदान किया जाएगा, यदि एपीडा की राय में, सार्वजनिक हित में या परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

7.5 इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए एपीडा का निर्णय अंतिम और बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगा।

7.6 यदि कोई अतिरिक्त गतिविधि निष्पादित करने की आवश्यकता होती है, तो एपीडा से लिखित रूप में विशिष्ट पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

8. चयन प्रक्रिया:

8.1 चयन प्रक्रिया में बोली-पूर्व बैठक, प्राप्त बोली दस्तावेजों का मूल्यांकन, चयन समिति के समक्ष बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुतिकरण तथा दस्तावेजों और प्रस्तुतिकरण के अंकों के आधार पर बोलीदाताओं की अंक-पत्रिका तैयार करने के लिए वित्तीय बोलियों को खोलना शामिल है।

8.2 बोली-पूर्व बैठक के विवरण एपीडा की वेबसाइट पर पोस्ट किए जाएंगे। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए बोली-पूर्व बैठक के विवरण की प्रतीक्षा करें।

8.3 बोलियों का मूल्यांकन:

8.3.1 एपीडा की एक समिति प्राप्त दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच करेगी और निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली बोलीदाता एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट की गई एजेंसियों को चयन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देनी होगी।

8.3.2 बोलियों का मूल्यांकन दो चरणों में किया जाएगा – पहला, तकनीकी मूल्यांकन, और दूसरा, वित्तीय बोली खोलना।

8.3.3 बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के लिए, एपीडा द्वारा निर्दिष्ट तिथि और समय पर बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चयन समिति के समक्ष एक प्रस्तुति आयोजित की जाएगी।

8.3.4 **प्रस्तुति के अंक निम्नलिखित क्षेत्रों में साख (योग्यता) के लिए दिए जाएंगे:**

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>क्षेत्र</th><th>अधिकतम अंक</th></tr>
<tr><td>I.</td><td>अवधारणा और डिज़ाइन</td><td>30</td></tr>
<tr><td>II.</td><td>थीम क्षेत्र, पवेलियन और प्रदर्शक स्टालों का समग्र दृश्य और डिज़ाइन सौंदर्य, पवेलियन, प्रदर्शनी क्षेत्र, आगंतुक संलग्नता, प्रचार और संवर्धन के लिए प्रस्तावित ताजे और अभिनव विचार। तकनीकी नवाचार और नए विचारों को उच्चतर श्रेणी रखा जाएगा।</td><td>30</td></tr>
<tr><td>III.</td><td>एजेंसी को पिछले 5 वित्तीय वर्षों में से किसी भी तीन वर्षों के दौरान भारत के बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में पवेलियन के डिज़ाइन, निर्माण कार्य, रखरखाव, प्रचार और संवर्धन से संबंधित इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस से प्रति वर्ष न्यूनतम 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) का टर्नओवर अर्जित करना चाहिए। टर्नओवर केवल आवेदक संगठन के नाम पर होना चाहिए, न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर।
अंकों का विवरण नीचे दिया गया है:
<table>
<tr><td>क. 3-5 करोड़ रुपये</td><td>4 अंक</td></tr>
<tr><td>ख. 5 करोड़ रुपये से अधिक</td><td>5 अंक</td></tr>
</table></td><td>5</td></tr>
<tr><td>IV.</td><td>एजेंसी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत के बाहर कम से कम तीन अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किए हों, जिनमें टर्नकी आधार पर पवेलियन के डिज़ाइन, निर्माण कार्य, रखरखाव, प्रचार और संवर्धन की आवश्यकता हो जहाँ (i) प्रत्येक इवेंट के लिए पवेलियन का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से कम न हो, और (ii) प्रत्येक ऐसे इवेंट का वित्तीय मूल्य 20.00 लाख रुपये (बीस लाख रुपये) प्रति इवेंट से कम न हो।
अंकों का विवरण नीचे दिया गया है:
<table>
<tr><td>क. 3-5 इवेंट्स</td><td>4 अंक</td></tr>
<tr><td>ख. 5 से अधिक इवेंट्स</td><td>5 अंक</td></tr>
</table></td><td>5</td></tr>
</table>

8.4 सभी प्रस्तुतियों पर अंकन किया जाएगा। तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और केवल उनकी वित्तीय बोलियाँ ही खोली जाएंगी। वित्तीय बोली अधिकतम 30 अंकों की होगी।

8.4 चयन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति पर किया जाएगा। चयन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति के तहत वित्तीय बोलियों पर अंकन निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार होगा:
एल1 = 30 अंक
एल2 = 30 X एल1 (एल1 द्वारा कोट की गई लागत)/एल2 (एल2 द्वारा कोट की गई लागत) और एल3, एल4 आदि के समान (पक्षों की संख्या के आधार पर)।

8.6 वित्तीय बोलियों पर अंकों की गणना के बाद, तकनीकी प्रस्तुति और वित्तीय बोलियों के अंकों को जोड़ा जाएगा और उच्चतम कुल अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता का चयन किया जाएगा।

8.7 चयन समिति अनुबंध/आदेश दिए जाने से पहले बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर कोई दायित्व डाले बिना किसी भी समय घोषणा वापस लेने, किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। एपीडा कीमतों को कम करने या अधिक सुविधाएँ जोड़ने के लिए चयनित एजेंसियों के साथ कीमतों पर बातचीत करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

9. अपरिहार्य घटना:

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा, इसके तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य-निष्पादन, शत्रुता, या विरोध द्वारा, सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, राज्य या सांविधिक प्राधिकरण से निर्देश, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जैसा कि ठेकेदार के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं है), आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं (इसके बाद घटना के रूप में संदर्भित), बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के होने की सूचना उसके घटित होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे को दी जाती है, इस तरह की घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी भी पक्ष के पास इस प्रकार के गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य के विरुद्ध हानि के लिए ऐसा कोई दावा होगा, बशर्ते अनुबंध व्यावहारिक रूप से, ऐसी घटना के समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाए। अध्यक्ष, एपीडा का निर्णय कि क्या सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है (और समय सीमा जिसके भीतर सेवा फिर से शुरू की जा सकती है) अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि कार्य-निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से इस अनुबंध के तहत दायित्व को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

10. विवाचन:

10.1 इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा अधिशासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

10.2 किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों को सुलह प्रक्रिया के माध्यम से समाधान करने का हरसंभव प्रयास करना होगा।

10.3 इसके संबंध में अनसुलझे समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद की स्थिति में (मामलों को छोड़कर, निर्णय जो विशेष रूप से इस समझौते के तहत प्रदान किया गया है) इसे भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार अध्यक्ष, एपीडा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

10.4 भारतीय मध्यस्थतम एवं सुलह अधिनियम 1996 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। मध्यस्थतम कार्यवाही का स्थान एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष, एपीडा द्वारा निर्धारित किया गया कोई अन्य स्थान होगा।। पूर्वोक्त किसी भी संदर्भ पर, कार्य हेतु कार्यवाही में लागत और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेक पर होगा।

10.5 मध्यस्थतम को देय शुल्क का भुगतान दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से किया जाएगा। मध्यस्थतम कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी होगी।

11. क्षतिपूर्ति:

एजेंसी किसी भी और सभी कार्यवाही, कार्रवाई, नुकसान, क्षति, व्यय, लागत और तीसरे पक्ष के दावों, चाहे वह वित्तीय हो या अन्यथा, जिसमें ईपीएफओ/ईएसआईसी/सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों/सांविधिक प्राधिकरणों आदि को देय अंशदान का भुगतान शामिल है, जो एपीडा अनुबंध की अवधि के दौरान और उसके बाद अनुबंध की अवधि से संबंधित किसी भी समय, एजेंसी, उसके उप-ठेकेदारों, उप-एजेंटों, कर्मचारियों आदि द्वारा अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व के उल्लंघन के कारण बनाए रख सकता है, वहन कर सकता है, भुगत सकता है या उजागर हो सकता है, के विरुद्ध एपीडा और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति करेगी, रक्षा करेगी और उन्हें हानिरहित रखेगी।

12. बौद्धिक संपदा अधिकार:

12.1 एपीडा का नाम/लोगो/अन्य आईपीआर केवल एपीडा की एकमात्र और अनन्य संपत्ति होगी। एजेंसी और/या उनके उप-एजेंटों/उप-ठेकेदारों/कर्मचारियों आदि द्वारा एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआर के किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग के लिए, एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।

12.2 एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआर के ऐसे किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग के कारण किसी तीसरे पक्ष को हुई किसी भी हानि या नुकसान के लिए एपीडा जिम्मेदार नहीं होगा।

12.3 एजेंसी एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआरएस के किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग और/या उनके/उनके उप-एजेंटों/उप- संविदाकारों /कर्मचारियों आदि द्वारा किए गए किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी दावे के विरुद्ध एपीडा को क्षतिपूर्ति करेगी।

12.4 एपीडा ऐसे उल्लंघनों के लिए आवश्यक कानूनी और अन्य उपचारात्मक कार्रवाई करेगा, जो उचित समझी जाएगी।

13. अनुबंध प्रदान करने पर एजेंसी की जिम्मेदारी:

13.1 बोली मूल्य का 5% (पांच प्रतिशत) या 5, 00,000/- (पांच लाख रुपये) जो भी अधिक हो**,** चयनित एजेंसी द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा जमा की जाएगी। चयनित एजेंसी से प्राप्त 5, 00,000/- (पांच लाख रुपये) की ईएमडी राशि को कार्य-निष्पादन प्रतिभूति के लिए समायोजित किया जाएगा। यदि अनुबंध मूल्य का 5% 5.00 लाख रुपये से अधिक होता है**,** तो चयनित एजेंसी को कार्य सौंपने के तीन कार्य दिवसों के भीतर एपीडा के पक्ष में डीडी के रूप में पांच लाख रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। दोनों राशियों को एक साथ कार्य-निष्पादन प्रतिभूति के रूप में माना जाएगा।

13.2 सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने के बाद कार्य-निष्पादन प्रतिभूति की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी।

14 भुगतान की शर्तें:

14.1 अनुबंध मूल्य के 30% तक का अग्रिम भुगतान, किए गए खर्चों के प्रमाण प्रस्तुत करने के साथ एजेंसी के लिखित अनुरोध पर या कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के पक्ष में समान राशि के लिए बैंक गारंटी के बदले स्वीकार्य होगा। अग्रिम भुगतान का हिसाब अंतिम भुगतान के समय किया जाएगा।

14.2 खंड 13.1 में बताए अनुसार प्रदर्शन सुरक्षा आवश्यकता को पूरा करने के बाद अग्रिम भुगतान जारी किया जाएगा।

14.3 इवेंट के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के अनुसरण में कार्यक्रम के पूरा होने पर शेष राशि जारी की जाएगी।

14.4 भुगतान केवल कार्यक्षेत्र के अनुसार साइट पर किए गए वास्तविक कार्य के लिए जारी किया जाएगा जो आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकता है।

15. <u>अंतिम भुगतान करने के लिए पूर्व शर्तें</u>

15.1 एजेंसी को पवेलियन के अंतिम डिज़ाइन, पैनल/पोस्टर (सीडीआर प्रारूप में), प्रदर्शक निर्देशिका की सॉफ्ट कॉपी**,** एपीडा के लिए तैयार इवेंट रिपोर्ट (पीडीएफ प्रारूप) की सॉफ्ट कॉपी इवेंट पूरा होने के 10 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इवेंट रिपोर्ट की 2 हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी। इसे एपीडा की संपत्ति माना जाएगा।

15.2 एपीडा पवेलियन की उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली फोटोग्राफी/वीडियो, जिसमें सभी दिनों के लिए पूरे इवेंट के विभिन्न कोणों से पूरे पवेलियन एरिया को कवर किया गया हो।

15.3 साथ ही, इवेंट के बाद शो के सभी दिनों का 3 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए जमा करना होगा। इन गतिविधियों के लिए पेशेवर फोटोग्राफरों/वीडियोग्राफरों की सेवाएं ली जानी चाहिए।

15.4 एजेंसी को दो फोटो एलबम जमा करने होंगे, जिसमें 5 इंच x 7 इंच आकार की कम से कम 200 (प्रत्येक दिन के लिए 50) तस्वीरें हों, जो प्रत्येक बूथ के साथ-साथ पवेलियन के अन्य क्षेत्र को कवर करती हों। इसे पेन ड्राइव में जमा किया जाना चाहिए।

15.5. भुगतान के समर्थन में बैंक स्टेटमेंट के साथ पवेलियन क्षेत्र के लिए बिजली बिल प्रस्तुत करना।

15.6 प्रदर्शनी स्थल पर इवेंट की देखरेख के लिए नियुक्त एपीडा अधिकारी की संतोषजनक प्रदर्शन रिपोर्ट।

15.7 यह पुन: कहा जाता है कि अतिरिक्त गतिविधियों के लिए एपीडा द्वारा अनुमोदित लागत को छोड़कर, किसी भी अतिरिक्त लागत पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. कार्य-निष्पादकता आश्वासन/जुर्माना:

यदि एजेंसी की कार्य-निष्पादकता कसौटी पर खरा नहीं उतरता है या किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है/कार्य–क्षेत्र में औसत दर्जे से कम आउटपुट दिया जाता है तो अंतिम भुगतान के समय एपीडा द्वारा कुल बोली मूल्य का एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम होगा।

17. तकनीकी और वित्तीय बोलियाँ जमा करने के लिए दिशानिर्देश:

17.1 सशर्त बोलियाँ स्वीकार्य नहीं हैं और उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

17.2 तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण/बोली वापस लेने पर ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

17.3 बोलीदाताओं को बोली दस्तावेजों की तैयारी और एपीडा को प्रस्तुत करने से जुड़ी लागत वहन करनी होगी।

17.4 बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर एपीडा को प्रस्तुत करने से पहले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं। हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्राधिकरण पत्र अनुलग्नक-1 के साथ संलग्न किया जाए।

17.5 सभी लिफाफों पर बोलीदाता एजेंसी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो, साथ ही लिफाफों पर पूरा पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल भी लिखा हो।

17.6 प्रस्तुत बोली में किसी भी प्रकार का संशोधन या प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा। कोई भी आवेदक आवेदन जमा करने के बाद अपना आवेदन वापस ले सकता है, बशर्ते कि आवेदन जमा करने की समय सीमा समाप्त होने से पहले एपीडा को आवेदन वापसी की लिखित सूचना प्राप्त हो। यदि कोई आवेदक अपना आवेदन पुनः जमा करना चाहता है, तो उसे निर्धारित तिथि तक सभी लागू शर्तों का पालन करते हुए नया आवेदन जमा करना होगा।

17.7 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त बोलियों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा या उन्हें खोला नहीं जाएगा। ईमेल के माध्यम से प्राप्त बोलियों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

17.8 विधिवत पूर्ण बोलियाँ निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार चार लिफाफों में प्रस्तुत की जाएंगी:

लिफाफा I: इस लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे:

(i) आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क के रूप में नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में जीएसटी सहित 17,700/- रुपये (सत्रह हजार सात सौ मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट।

(ii) ब्याज मुक्त बयाना राशि जमा (ईएमडी) के रूप में नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में 5,00,000/- रुपये (पाँच लाख रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट।

लिफाफा मुहरबंद होना चाहिए और उस पर "नेचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट 2026 के लिए 'एपीडा/इंडिया पैवेलियन' के डिज़ाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव के लिए तकनीकी बोली हेतु आवेदन-सह-प्रसंस्करण शुल्क और ईएमडी" अंकित हो।

लिफाफा-II इस लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे:

(i) अनुलग्नक - 1 - (विधिवत भरा हुआ) और इसके साथ संलग्न सहायक दस्तावेज।
(ii) अनुलग्नक - 2 - सीए प्रमाणपत्र
(iii) अनुलग्नक - 3 - ब्लैक-लिस्टेड न होने की घोषणा

इस लिफाफे को मुहरबंद किया जाना चाहिए और उस पर "नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट 2026 " में 'एपीडा/इंडिया पैवेलियन' के डिज़ाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव के लिए तकनीकी बोली लिखा हो।

लिफाफा III: इस लिफाफे में निम्न होगा

(i) अनुलग्नक 4 (**वित्तीय बोली**) विधिवत भरा हुआ।
(ii)अनुलग्नक 5 (वैकल्पिक मदों के लिए कोटेशन)

इस लिफाफे को मुहरबंद किया जाना चाहिए और उस पर "नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट 2026 में 'एपीडा/इंडिया पैवेलियन' के डिज़ाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव के लिए वित्तीय बोली" लिखा हो।

लिफाफा IV: मास्टर लिफाफा: लिफाफे I, II और III को लिफाफा-IV के अंदर रखा जाएगा और फिर से मुहरबंद कर दिया जाना चाहिए। इस मास्टर लिफाफे पर निम्न लिखा हो:
"नेचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट 2026 के लिए 'एपीडा/इंडिया पैवेलियन' का डिज़ाइन, निर्माण-कार्य और रखरखाव हेतु बोली" और इसे निम्नलिखित पते पर जमा किया जाए:

सचिव
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
तीसरी-चौथी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 016

17.9. यदि बोलीदाता को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया संपर्क करें:
श्रीमती मीना सिंह, सहायक महाप्रबंधक
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 016
फोन: 91-11-41486013 /20863919 /20867008 /20867007
मेल: meenasingh@apeda.gov.in

महत्वपूर्ण:

(1) बोली-पूर्व बैठक 08.01.2026 को दोपहर 03:00 बजे एपीडा, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाएगी।

(2) बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि 20.01.2026 को 13:00 बजे है।

Annexure-1

Technical Bid for Design, Construction and Maintenance of 'APEDA/INDIA PAVILION' for Natural Product Expo West 2026".

Details of Bidder Agency
(on the letter head of the Agency)

S. No.	Particulars	Details		Page no.
1	Name of Agency			
2	Address as per GST Registration (please attach documents)			
3	Name, designation and contact details of authorized signatory including email id and mobile/ telephone no. (Please attach Authorization Letter)			
4	Details of Registration /AOA & MOA (Please Attach copy)			
5	GST Certificate of Bidder Agency (Please Attach copy)			
6	Pan Card of Bidder Agency (Please Attach copy)			
7	Detailed Profile of the Agency including the staff strength on its payroll			
8	Details of Demand Draft for Non- Refundable Application cum Processing Fee of Rs. 17,700/- (Rupees Seventeen Thousand Seven Hundred)			
9	Details of Demand Draft for Interest-free Earnest Money Deposit "EMD" for Rs.5,00,000/- (Rupees Five Lakh) in favour of APEDA, New Delhi.			
10	"Certificate for exemption from submission of EMD issued by NSIC and MSME (Please attach a self-certified copy)			
11	CA Certificate (Please Attach duly filled in Annexure-2)			
12	Declaration that the agency has not been blacklisted by any Government organization. (Please Attach duly filled in Annexure-3)			
13	**Turnover Details** (Minimum turnover Rs. 3,00,00,000) (Rs. Three Crores) per year (from Design, Construction, Maintenance, Publicity & Promotion of the Pavilions on turnkey basis in International Trade events organised outside India during any three years out of the last 5 years. The turnover shall be in the name of applicant organisation only and not that of group/ sister organisations. (Please	Year	Turnover	
		2020-21		
		2021-22		
		2022-23		
		2023-24		
		2024-25		

	attach CA certificate as per Annexure- 2)			
14	**Experience Details** (Please attach copies of Work Orders for execution of at least three international trade events for Design, Construction and Maintenance of Pavilion(s) on turnkey basis, organised outside India where (a) the area of pavilion should not have been less than 100 sq. mtrs and (b) the financial value of each such event should not be less than Rs. 20.00 Lakhs (Rs. Twenty Lakhs) per event	Year	Work Orders	
		2020-21		
		2021-22		
		2022-23		
		2023-24		
		2024-25		

List of Enclosures:

Declaration

I hereby declare and confirm that all the information provided above is true and nothing has been concealed.

I agree to abide by the terms and conditions mentioned in the bid document.

I understand that if at any time, I am found to have concealed/distorted any material information or done any act or omission against the interest of APEDA, my contract shall be summarily terminated without any notice to me.

I am authorised to sign all the documents on behalf of the firm/ agency.

Signature of Authorized Signatory

(Name of Authorized Signatory)

Designation
E-mail ID:
Tel. No.:

Mobile No.:
Seal of the agency

Date:

Annexure-2

Proforma for CA Certificate

I /We, Proprietor / Partner / Director of _____ (Name of CA Firm) do hereby confirm that M/s._____ (Bidder), a Proprietorship / Partnership/Company having its registered office at _____, having PAN No. _____ and GST No. _____ which is valid from_____ (copy attached) and hereby declare and affirm as under:

(1) That the business entity is in existence in the present status from.....(date).

(2) That the details of the turnover from Event Management business (on the basis of the financial statements of the entity) are as follows:

S. No.	Financial Year	No. of International events executed	Name of the Event, Place and Country	Name of Hosting Organization	Turnover (in Rs.)
1	**2020-21**				
2	**2021-22**				
3	**2022-23**				
4	**2023-24**				
5	**2024-25**				

3. That the above work was obtained in the entity's own name and the billing /payment was collected in the entity's own bank account.

Declaration

I have independently verified the above-mentioned details with books of accounts, 26AS statements, Service tax returns, GST Returns and other related documents and found them to be true and correct

Counter-signed:

Signature of Authorized Signatory
Name of Authorised Signatory
Proprietor / Partner/ Director

Company Seal

Signature:

Name and designation
UDIN
Seal of CA firm

ANNEXURE-3

(on the Letter Head of the Agency)

Technical Bid for Design, Construction and Maintenance of 'APEDA/INDIA PAVILION' for Natural Product Expo West 2026" scheduled from 03rd-06th March 2026 at Anaheim, USA

To
The Secretary,
APEDA,
New Delhi-110016

Subject: Declaration for not being Black-Listed

Sir,

With reference to the bid on the subject cited above, dated……I, …… (Name and designation of the Signatory) hereby declare and confirm that … (Name of the Agency) has not been black-listed or declared as ineligible by the Central Government/ State Government / Public Sector Undertaking from participating in future bids due to unsatisfactory performance, corrupt, fraudulent or any unethical business practices or any other reasons, as on the date of submission of the bid.

Signature

(Name of authorised Signatory)

Designation:

Seal of the Agency

Date:

Place:

Annexure-4

FINANCIAL BID for

Design, Construction and Maintenance of 'APEDA/INDIA PAVILION' for Natural Product Expo West 2026" scheduled from 03rd-06th March 2026 at Anaheim, USA

To

The Secretary,
APEDA, New Delhi.

Sir,

We, M/s. (Name of the firm) offer to undertake **"Design, Construction and Maintenance of 'APEDA/INDIA PAVILION' for Natural Product Expo West 2026" scheduled from 03rd-06th March 2026 at Anaheim, USA"** in accordance with the bid notice. Our Financial Bid against the Scope of Work is submitted hereunder.

Sr. No.	**Activity/ Component**	**Amount in Rs.**
1	Design, Construction and Furnishing of **Theme/ Common Area** covering details mentioned in clause **5.2** of Bid Notice	
2	Design, Construction and Furnishing of **Exhibitor Stalls** covering details mentioned in clause **5.3** of Bid Notice	
3	Specification of BRANDING "BHARAT / APEDA and INDIA ORGANIC as per clause 5.4 of Bid Notice	
4	Specifications for WET SAMPLING AREA as per clause 5.5 of Bid Notice	
5	Specifications for Publicity and Promotion of the APEDA Pavilion as per clause 5.6 of Bid Notice	
6	Specifications for OTHER ACTIVITIES /DUTIES as per clause 5.7 of Bid Notice	
7	**Sub-Total of (1) – (6) above**	
8	**Amount of Applicable taxes**	
9	**Total Amount (with taxes)**	

Total Amount in words: Rupees ….

Signature of Authorised Signatory

(Name of Authorized Signatory)
Designation
Seal of the agency

Date:

Annexure –5

Technical Bid for Design, Construction and Maintenance of 'APEDA/INDIA PAVILION' for Natural Product Expo West 2026" scheduled from 03rd-06th March 2026 at Anaheim, USA

Quotation for Optional Items if Required by Exporter

(Note: - This quotation is not part of the Financial Bid.)

S. No	Item	Unit	Price in Rs.
1.	Shelves	Per unit	
2.	Showcase (Glass Counter)	Per unit	
3.	Table	Per unit	
4.	Chair	Per unit	
5.	Spotlights	Per unit	
6.	Lockable Counter	Per unit	
7.	Refrigerator	Per unit	
8.	Microwave	Per unit	
9.	Hot case	Per unit	
10.	LED with stand (minimum 50 inch)	Per unit	
11.	Magazine Rack	Per unit	
12.	Center Table	Per unit	
13.	Sofa with (3-Seater)	Per unit	
14.	Sofa with (2-Seater)	Per unit	

Date: **Signature of Authorized Representative**

Place: **Name and Designation**

Company Seal